उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या-117/2019/1553/92-2-2019-22(जांच)/2017
लखनऊ :: दिनांक:: 22 अगस्त, 2019

कार्यालय-ज्ञाप

जनपद-प्रतापगढ. में वर्ष 2016-17 में चयनित डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्रामों में सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन के निर्माण कार्यों में की गयी अनियमितताओं के फलस्वरूप टी0ए0सी0 की जांच आख्या में परिलक्षित शासकीय क्षति हेतु प्रथम द्रष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-128/2017/1255/92-2-2017-22(जांच)/2017, दिनांक 24 जुलाई, 2017 द्वारा श्री चन्द्रिका सिंह यादव, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-प्रतापगढ़ के विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये प्रकरण की जॉच हेतु अधीक्षण अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-फैजाबाद को पदेन जॉच अधिकारी नामित किया गया।

2- इसी मध्य अपचारी अधिकारी श्री चन्द्रिका सिंह यादव अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर दिनांक 31.01.2018 को सेवानिवृत्त हो गये। तत्क्रम मे शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 24.07.2017 द्वारा संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-178/2018/3080/92-2-2018-22(जांच)/2017, दिनांक 06.12.2018 द्वारा सी0एस0आर0 के अनुच्छेद-351ए के अंतर्गत परिवर्तित किया गया।

3- शासन के पत्र दिनांक 19.09.2017 तथा पत्र दिनांक 02.11.2017 द्वारा श्री चन्द्रिका सिंह यादव, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड प्रतापगढ़ सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध अनुमोदित आरोप पत्र/अनुपूरक आरोप पत्र निर्गत करते हुए जांच अधिकारी से नियमानुसार जांच कर जांच आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया। जांच अधिकारी द्वारा अपने पत्र दिनांक 24.01.2018 द्वारा अनुपूरक आरोप पत्र एवं पत्र दिनांक 18.01.2018 द्वारा पूरक आरोप पत्र के संबंध मे नियमानुसार जांच करते हुए जांच आख्या शासन मे उपलब्ध करायी गयी।

4- अपचारी अधिकारी के विरूद्ध अधिरोपित कुल-08 (मूल आरोप-6 तथा अनुपूरक आरोप-02) आरोपों को जांच अकिधकारी की जांच आख्या/विवेचना मे अपचारी अधिकारी श्री चन्द्रिका सिंह यादव के बचाव उत्तर के सापेक्ष जांच में अधिरोपित आरोपों को जांच अधिकारी ने आरोप संख्या-1, 2, 3 एवं 6 तथा अनुपूरक आरोप संख्या-1 एवं 2 को प्रमाणित नहीं पाया तथा पूरक आरोप पत्र के आरोप संख्या-4 एवं 5 को उनसे संबंधित होना नही पाया।

अत: जांच अधिकारी की जांच आख्या एवं संगत अभिलेखों के सम्यक परीक्षणोपरान्त शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-128/2017/1255/92-2-2017-22(जांच)/2017, दिनांक 24 जुलाई, 2017 द्वारा श्री चन्द्रिका सिंह यादव, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड प्रतापगढ़ सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही जिसे शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-178/2018/3080/92-2-2018-22(जांच)/2017, दिनांक 06.12.2018 द्वारा सी0एस0आर0 के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अनुच्छेद-351ए के अंतर्गत परिवर्तित किया गया मे उनको दोषमुक्त करते हुए दण्ड रहित समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूद्दीन
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-117/2019/1553(1)/92-2-2019 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
2- जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-फैजाबाद।
3- श्री चन्द्रिका सिंह यादव, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-प्रतापगढ़ सम्प्रति सेवानिवृत्त द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
4- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।